भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
ICAR - Central Institute for Arid Horticulture
Sriganganagar Highway, Beechwal Indl. Area Post Office, Bikaner (Raj.)-334001
Fax : 0151-2250145 Email : ciah@nic.in

पत्रावली क्रमांक: 07(ii)06/CS/Auction of Farm Produce/2026-27/1476 **दिनांक:** 16.06.2026
1476 to 1481

संस्थान के विभिन्न प्रखण्डों भू-नियोजन अनुभाग, नर्सरी अनुभाग एवं सडक किनारे रिक्त पड़ी अविकसित भूमि, बाउंड्री वॉल के पास लगे हुये लगभग 20-25 सूखे वृक्षों जोकि तेज आंधी तुफान वर्षा से टूटने /उखडने से फफूंद ग्रस्त बीमारी से बोरर/दीमक के प्रकोप से सूखे वृक्षों एवं बेर के विभिन्न आयु के लगभग 2000 पौधों की कटाई - छंटाई से प्राप्त शाखाओं की लकड़ी (100 से 120 क्विंटल) नीलामी **दिनांक 18.06.2026 11.00 बजे**।

नियम व शर्तें:

1. **केवल कार्यालय समयानुसार सुबह 9-00 बजे से शाम 5-00 बजे तक कार्य किया जा सकता है एवं कार्य दिवस में गेट पास प्राप्त कर (सुबह 9-00 से शाम 5-00 बजे तक) सूखी लकड़ी की निकासी की जा सकती है।**
2. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रुप में रु. 5000/- जमा कराने होगें।
3. जिस व्यकित के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का 50% (पचास प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी। तत्पश्चात ही सफल बोलीदाता को कार्य प्रारंभ करने का अनुबंध (नोन- जुडिशियल स्टाम्प पेपर) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार करने पर कार्यादेश जारी किया जावेगा एवं ठेकेदार द्वारा तुडाई कार्य शुरु किया जावेगा।
4. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की सम्पूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गयी बयाना राशि एवं बोली की 50% (पचास प्रतिशत) राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रदद कर दिया जायेगा। किस स्थिति में द्वीतीय अधिकतम बोली दाता की बोली स्वीकार करने या पुनः नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
5. **शनिवार रविवार, एवं अन्य राजकीय अवकाश में कार्य बंद रखना होगा।**
6. **संस्थान द्वारा बिजली एवं किसी प्रकार के संसाधन नहीं दिये जायेंगे।**
7. **अनुबंधक** को यह सुनिश्चित करना होगा कि **उपरोक्त कार्य करते समय संस्थान के बगीचों में लगे** वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों/वृक्षों एवं अन्य सम्पति को किसी प्रकार की हानि न पहुचें । **संस्थान के बगीचों में लगे** वृक्षों/ बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा । यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई आपको करनी होगी ।
8. **प्रभारी फार्म/तकनीकी अधिकारी से जानकारी लेकर सूखी लकड़ी** को हटाया / ले जाया जा सकता है ।
9. कार्य **एक** माह में पूर्ण कर लेना होगा। तत्पश्चात **अनुबंधक का अधिकार सूखी लकड़ियों** पर नहीं रहेगा। इस अवधि में **सभी प्रकार की सूखी लकड़ियों** की सुरक्षा का उत्तरदायित्व **अनुबंधक का ही** होगा ।
10. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी आप की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा ।
11. संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को **उपरोक्त** के लिये नही लगाना होगा। अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।
12. **नीलामी की सूखी लकड़ियों का** भण्डारण रख-रखाव इनके परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करायेगा ।

13. **नीलामी की सूखी लकड़ियों** के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जानेवाले श्रमिकों को मजदुरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता **आपकी होगी** की होगी एवं संस्थान **इसमें** किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा ।

14. नीलामी हेतु जमा करवायी गई बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) कार्य पुर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा **अदेयता** प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु आपको संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण क्रम संख्या) :1 से 8 तक मेल द्वारा(

1. सूचना पट्ट - कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. सूचना पट्ट - प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोक्स सं.07 जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
4. सूचना पट्ट - केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरु क्षेत्रीय परिसर, बीछ्वाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर।
5. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोक्स सं.08, जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
6. सूचना पट्ट - केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलानगर, बीकानेर।
7. सूचना पट्ट - स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीछ्वाल, बीकानेर।
8. सूचना पट्ट - राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविधालय, विजय भवन पैलेस परिसर, पशु चिकित्सा विश्वविधालय रोड, दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के नजदीक, बीकानेर - 334001।
9. फार्म मेनेजर - भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी फार्म - भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
12. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को संक्षिप्त निविदा सूचना सहित संस्थान की वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।